

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-23/2013-
प्रेषक,

/क०, पटना, दिनांकअप्रैल,2015

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री कोशलेन्द्र कुमार,
में० अलकनन्दा एग्रो केमिकल्स,
प्रा० लि०, पाठक बिगहा,
पो०-मुरगाँव,
जिला-जहानाबाद।

विषय :- कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या 27 दिनांक 10.03.2014 के नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान, जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित विनिर्माण अनुज्ञप्ति सं०-27 दिनांक 10.03.2014 का नवीकरण 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम	क्र० सं०	कीटनाशी का नाम
1	Phorate 10%C.G	13	Mancozeb 75%WP
2	Acephate 75%SP	14	Acephate 50%+Imidacloprid 1.8%SP
3	Imidacloprid 17.8% SL	15	Triazophos 20%EC
4	Cypermethrin 10%E.C	16	Hexaconazole 5%SC
5	Fenvalerate 0.4% DP	17	Phenthoate 50%EC
6	Fenvalerate 20% E.C.	18	Propiconazole 25%E.C.
7	Hexaconazole 5%SC	19	Cartap Hydrochloride 50%SP
8	Monocrotophos 36% SL	20	Sulphur 80% W.P.
9	Carbendazim 50% WP	21	Carbendazim 12%+Mancozeb 63%WP
10	Profenophos 50% EC	22	Profenofos 40%+Cypermethrin 4% E.C.
11	Cartap Hydrochloride 4% GR	23	Acephate 25%+ Fenvalerate 3% E.C.
12	Dimethoate 30% E.C.		

2- यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की विनिर्माण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय। भण्डारण स्थल का पता- मेसर्स अलकनन्दा एग्रो केमिकल्स, प्रा० लि०, पाठक बिगहा, पो०-मुरगाँव, जिला-जहानाबाद।

3- अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विनिर्माण वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

4- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

5- अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

6- आपके विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या 27 दिनांक 10.03.2014 को इस शर्त के साथ नवीकृत किया जाता है कि आपके द्वारा कीटनाशी विनिर्माण के पूर्व उसमें परीक्षण हेतु सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

7- आपके विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या-27 दिनांक 10.03.2014 को 31.12.2016 तक इस शर्त के साथ नवीकृत किया जा रहा है कि अगले नवीकरण के प्रस्ताव भेजने के पूर्व उद्योग विभाग से निबंधन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विभाग में आपके द्वारा जमा कर दिया जायेगा।

8-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

9-कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति मूल रूप से संलग्न है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2275

/क0, पटना, दिनांक16... अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।